

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 419] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, नवम्बर 19, 1970/कार्तिक 28, 1892

No. 419] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 19, 1970/KARTIKA 28, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सक ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

NOTIFICATION

INCOMETAX

New Delhi, the 18th November 1970

S.O. 3769.—In exercise of the powers conferred by section 295 of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:—

1. (1) These rules may be called the Income-tax (Fourth Amendment) Rules, 1970.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of April, 1970.

2. In rule 6DD of the Income-tax Rules, 1962, for clause (j), the following clause shall be substituted, namely:—

“(j) in any other case, where the assessee satisfies the Income-tax Officer that the payment could not be made by a crossed cheque drawn on a bank or by a crossed bank draft—

(1) due to exceptional or unavoidable circumstances, or

(2) because payment in the manner aforesaid was not practicable, or would have caused genuine difficulty to the payee, having regard to the nature of the transaction and the necessity for expeditious settlement thereof,

and also furnishes evidence to the satisfaction of the Income-tax Officer as to the genuineness of the payment and the identity of the payee.”.

[No. 180/F. No. 133(31)/70-TPL]

R. R. KHOSLA, Secy.

(1855)

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

आय-कर

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 1970

का० आ० 3769.—आय कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा आयकर नियम, 1962 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्—

1. (1) ये नियम आयकर (चतुर्थ संशोधन) नियम, 1970 कहे जा सकेंगे।
(2) ये अप्रैल, 1970 के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुए समझे जाएँगे।

2. आयकर नियम, 1962 के नियम 6 डब के खण्ड(अ) के स्थान पर निम्नलिखित बंध प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

“(अ) किसी अन्य दशा में जहां निर्धारित आयकर अधिकारी का समाधान करा देता है कि संदाय किसी बैंक के क्रॉस चैक द्वारा या क्रॉस बैंक ड्राफ्ट द्वारा—

- (1) असाधारण या अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण, या
- (2) क्यों कि पूर्वोक्त रीति से संदाय साध्य नहीं था या संव्यवहार की प्रकृति और उसके शीघ्र निपटारे को ध्यान में रखते हुए पाने वाले को असली कठिनाई हुई होती,

नहीं किया जा सका और आयकर अधिकारी के समाधानप्रद रूप से संदाय के असलीपन और पाने वाले की पहचान के विषय में भी साक्ष्य प्रस्तुत करता है।”

[सं० 180/फा० सं० 133(31)/70-टी पी एल]

आर० आर० खोसला, सचिव।